62

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2987–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–8–2016 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी होशंगाबाद, प्रकरण कमांक 48/अपील/2011–12.

.....

हरदेव आत्मज राधेलाल
निवासी ग्राम सुआखेड़ी तहसील बाबई,
जिला होशंगाबाद

..... आवेदक

विरूद्ध

1–लखनलाल वल्द राधेलाल
2–धुन्नी वल्द राधेलाल
3–अद्धर वल्द राधेलाल
सभी निवासी ग्राम सुआखेड़ी तहसील बाबई,
जिला होशंगाबाद
हाल निवासी ग्राम सहेली तहसील इटारसी
जिला होशंगाबाद

..... अनावेदकगण

.....

श्री रत्नेश दुबे, अभिभाषक–आवेदक

श्री सिद्धार्थ गुप्ता, अभिभाषक–अनावेदकगण

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 11/5/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.8.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 29–4–1983 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 5–1–2012 को 28 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई । चूँकि प्रथम अपील अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई थी इसलिये विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 48/अपील/11–12 दर्ज कर दिनांक 26–8–16 को अंतरिम आदेश पारित करते हुये अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा लगभग 32 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत विलम्ब अपील स्वीकार कर प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है ।

(2) अनावेदकगण को पंजी पर हुये संशोधन की जानकारी प्रारंभ से ही रही है क्योंकि उनके द्वारा नामान्तरण व बटवारा हेतु आवेदन पत्र दिनांक 30–9–1999 को प्रस्तुत किया गया था जो कि दिनांक 30–1–2000 को निरस्त हुआ है । इस प्रकार राजस्व प्रकरण कमांक 10/अ–27/04–05 में दिनांक 6–5–2005 को आदेश पारित किया जाकर आवेदन पत्र निरस्त किया गया है । इस प्रकार प्रथमदृष्टया स्पष्ट है कि अनावेदकगण को संशोधन पंजी पर पारित आदेश की जानकारी प्रारंभ से ही रही है ।

(3) विलम्ब क्षमा हेतु शपथपत्र प्रस्तुत करना पर्याप्त नहीं है बल्कि प्रत्येक दिवस के विलम्ब का कारण दर्शाया जाना चाहिये जो कि अनावेदकगण द्वारा नहीं दर्शाया गया है ।

(4) अपील मेमों में अनावेदकगण द्वारा दिनांक 22–11–11 को आदेश की जानकारी होना बताया है, जबकि पैरा 8 में दिनांक 17–11–11 को जानकारी होने का उल्लेख किया है, इस प्रकार जानकारी होने की दिनांक में भिन्नता होने से अनावेदकगण को वास्तव में वर्ष 1999 से ही तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी रही है ।

(5) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करते हुये इस तथ्य पर विचार नहीं किया गया है कि उनके पास 32 वर्ष पश्चात् गलत व्यक्तियों द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है जबकि प्रश्नाधीन भूमि का एकमात्र भूमिस्वामी आवेदक है और 32 वर्ष से बिना रोक टोक के उसकी प्रविष्टि चली आ रही है, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने संबंधी आदेश अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) प्रकरण में राजस्व निरीक्षक द्वारा नामान्तरण पंजी पर नामान्तरण एवं बटवारा आदेश पारित किया गया है जबकि राजस्व निरीक्षक को केवल अविवादित फौती नामान्तरण करने का अधिकार प्राप्त है, परन्तु प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में नामान्तरण विवादित है । इस आधार पर कहा गया कि राजस्व निरीक्षक को अविवादित नामान्तरण एवं बटवारा का संशोधन पंजी पर आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है ।

(2) संशोधन पंजी में उल्लेख है कि प्रकाशन कराया गया जबकि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष उपलब्ध नामान्तरण पंजी पर प्रकाशन कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) मृतक भूमिस्वामी राधेलाल की प्रथम पत्नी से उत्पन्न पुत्री इंदरबाई वर्तमान में जीवित है, परन्तु फौती नामान्तरण में उसका कोई उल्लेख नहीं है ।

(4) संहिता की धारा 109 व 110 के अन्तर्गत नामान्तरण किया जाता है और संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत बटवारा किया जाता है । दोनों धाराओं के

प्रावधान पृथक पृथक है इसलिये संशोधन पंजी पर दोनों धाराओं के अन्तर्गत आदेश पारित नहीं किया जा सकता है ।

तर्क के समर्थन में 1994 आरएन 302 का न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किया गया।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा अनावेदकगण को सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करते हुये विलम्ब क्षमा करने में पूर्णतः न्यायिक कार्यवाही की गई है । आवेदक को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है और वे वहॉ पर गुणदोष पर अपने पक्ष प्रस्तुत करें । दर्शित परिस्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.8.2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर